



राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

क्रमांक : प. 7(199) परि / नियम / मु. / 2018 / पार्ट | ६२६० जयपुर, दिनांक : ११/५/१९

कार्यालय आदेश संख्या १ / 2019

राज्य के समस्त पंजीयन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय इकाईयां (entities) यथा पार्टनरशिप फर्म, Limited Liability Partnership (LLP) एवं Private Limited Company, जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के अधीन यानों के लिये वित्त पोषण संबंधी कार्य (हायर परचेज / हाईपोथिकेशन / लीज एग्रीमेंट) करते हैं, उनके लिए केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के अन्तर्गत आवश्यक ट्रेड सर्टिफिकेट जारी / नवीनीकरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त वित्तीय इकाईयां (entities) कम्पनी रजिस्ट्रार (ROC) से पंजीकृत हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से वित्त पोषण के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र धारित करते हैं।

(राजेश यादव)  
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक : प. 7(199) परि / नियम / मु. / 2018 / पार्ट | ६२६१-६५ जयपुर, दिनांक : ११/५/१९

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव महोदय।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपडेट करने एवं वाहन सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने हेतु।
4. समस्त प्रादेशिक / अतिरिक्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)